5383 T→5213

IV 18

भारतीय गैर न्यायिक INDIA NON JUDICIAL

भारत

एक हजार रुपये ONE THOUSAND RUPEES

रु.1000 Rs.1000

सत्यमेव जयते

INDIA

बिहार BIHAR A 488044

TREASURY OFFICER
11 JAN 2007

116 h 130

बिहार सरकार

जिला निबंधन कार्यालय, बाँका

दिनांक **25/04/2007** को श्री/श्रीमती **Upendra Pd. Yadav** द्वारा यह दस्तावेज निबंधन हेतु उपस्थापित किया गया । इसमें रु० **1000/-** मुद्रांक शुल्क एवं रु० **906/-** निबंधन तथा अन्य शुल्क का भुगतान किया गया । दस्तावेज ग्राह्य पाया गया । जिन लेख्यकारियों ने मेरे समक्ष इसका निष्पादन स्वीकार किया उनके तथा उनके पहचानकर्त्ता के नाम, फोटो, अंगुलियों के निशान एवं हस्ताक्षर पीछे अंकित है । इसे दस्तावेज सं० **18** के रूप में पुस्तक सं० **4** की जिल्द सं० **1** के पृष्ठ सं० **23** से **36** तक CD 1 में आज निबंधित एवं कुल **14** पृष्ठों में संधारित किया गया ।

ह०

(Mazharul Haque)

निबंधन पदाधिकारी

Date : 25/04/2007

लेख्यकारी: उपेन्द्र प्रसाद यादव उम्र 31 वर्ष, पिता श्री मुकुन्द प्रसाद यादव जीवित, जाति यादव, पेशा-खेती, साकिन-परदतेहरा, थाना कटोरिया निबंधन कार्यालय वो जिला बाँका भारतीय।

Serial No : 5383
Token No : 5213

Deed No : 18
of 2007

Type & Status of Party	Name of Party	Photo	Thumb	Index	Middle	Ring	Little

Self

Upendra Pd. Yadav

उपेन्द्र प्रसाद यादव 25/04/07

Signature of Party

Ravish Turi

रविश तुरी 25/4/07

Signature of Party

Bhairav Prasad Yadav

भैरव प्र० यादव 25.4.07

Signature of Party

Sunita Kumari

सुनीता कुमारी 25-4-07

Signature of Party

Upendra Prasad Yadav

Signature of Party

Devanand Kumar

देवानंद कुमार 25.4.07

Signature of Party

Sunaina Kumari

सुनैना कुमारी 25.4.07

Signature of Party

Maheshwar Yadav

महेश्वर यादव 25/4/2007

Signature of Party

GRAM SATHI

ग्राम साथी का नियमावली

1. सेटलर्स के नाम, पता एवं पद

नाम	पता	पद
क) श्री उपेन्द्र प्र० यादव	पिता – श्री मुकुन्द प्र० यादव ग्राम – वरद बेहरा पोस्ट – जयपुर वाया – कटोरिया जिला – बाँका (बिहार) पिन नं० – 813106	अध्यक्ष (President)

न्यास पर्षद

1.1 ट्रस्टीज (न्यासियों) के नाम पता एवं पद

नाम	पता	पद
1. श्री उपेन्द्र प्र० यादव	पिता–श्री मुकुन्द प्र. यादव ग्राम–वदरबेहरा, पो.–जयपुर वाया – कटोरिया जिला–बाँका, बिहार	अध्यक्ष President
2. श्रीमती सुनीता कुमारी	पति–श्री अनिल कुमार यादव ग्राम–गिधमड़वा पो०–उपरचकमढ़िया वाया–कटोरिया, जिला–बाँका (बिहार)813106	उपाध्यक्ष (Vice President)
3. श्री देवानन्द कुमार	पिता– स्व० शिवनारायण यादव उपर चक मढ़िया वाया कटोरिया जिला–बाँका, बिहार, पिन–813106	प्रबन्ध न्यासी (Managing Trustee)
4. श्रीमती सुनैना कुमारी	पिता– श्री साधो प्रसाद यादव ग्राम–कदरापाथर, पो०–बाराहाट जिला–बाँका (बिहार) 813102	कोषाध्यक्ष (Treasurer)

5.	श्री महेश्वर यादव	पिता–श्री रूसन यादव ग्राम+पों0 – उपरचक मढ़िया वाया कटोरिया, जिला–बाँका (बिहार) पिन –813106	समायोजक (co-ordinator)
6.	श्री रवीश तुरी	पिता–श्री सुमेश्वर तुरी ग्राम+पों0 – उपरचक मढ़िया वाया कटोरिया, जिला–बाँका (बिहार) पिन –813106	न्यासी (Trustee)
7.	श्री भैरव प्र0 यादव	पिता–श्री नेवाजी यादव ग्राम वरदबेहरा पो0 जयपुर वाया कटोरिया, जिला–बाँका (बिहार) पिन –813106	न्यासी (Trustee)

2. इसका नाम – इस न्यास पर्षद का नाम "ग्राम साथी" होगा।

3. निबंधित कार्यालय – "ग्राम साथी" का निबंधित कार्यालय ग्राम+पोस्ट– उपर चकमढ़िया वाया कटोरिया जिला – बाँका (बिहार) पिन नं0 813106 में होगा।

3.1 कार्यक्षेत्र – "ग्राम साथी" कार्यक्षेत्र सम्पूर्ण "भारत देश" होगा प्रयोजन होने पर इसको बढ़ाया–घटाया जा सकता है।

4. लक्ष्य व उद्देश्य –

4.1 व्यापक लक्ष्य

"ग्राम साथी" का उद्देश्य एक ऐसे समाज की स्थापना करना है जो मौजूदा समाज के सभी तरह के विषमता, अन्याय, शोषण, जाति भेद वर्ग विहीन होगा। इसका सपना एक ऐसे बेहतर समाज की स्थापना करना है जो सत्य एवं अहिंसा प्रेम एवं करूणा स्वशासन एवं स्वावलम्बन धर्म निरपेक्षता एवं साम्प्रदायिक सद्भाव निर्भयता एवं आत्म सम्मान लैंगिक समानता सेवा एवं त्याग एकता सहभागिता एवं पारदर्शिता जैसे मूल्यों से युक्त होगा।

4.2. विशिष्ट उद्देश्य :–

1) समुदाय समाज में चलाये गये सहभागी व्यूह रचना प्रक्रिया के माध्यम से प्राप्त सामूहिक दृष्टि, लक्ष्य, भूमिका, उद्देश्य, रणनीति व कार्यक्रमों को मूर्त रूप से लागु करना।

2) समुदाय के लोगों को संगठित एवं सशक्त करना, आर्थिक स्वावलम्बी एवं स्वशासी गाँव की स्थापना करना।

3) लोगों को संगठित एवं शसक्त बनाते हुए जंगल, जमीन सामुदायिक सम्पदा एवं अन्य प्राकृतिक संसाधनों पर समुदाय का मालिकाना हक जीवन एवं आजीविका के सातत्य को स्थापित करते हुए सुनिश्चित करना।

4) जैव विविधता का संरक्षण करना।

5) लोगों को संगठित करके बहुराष्ट्रीय कम्पनियों तथा अन्तराष्ट्रीय निगमों के जन विरोधी एवं पर्यावरण विरोधी नीतियों एवं शोषण के खिलाफ लोगों का आवाज बुलन्द करना एवं लक्ष्य प्राप्ति हेतु अहिंसक संघर्ष करना।

6) स्थानीय स्तर से वैश्वीक स्तर तक के अन्तर्सम्बन्धित समस्याओं की गहराई से पहचान करना एवं उनके समाधान के लिए नैतिक समर्थन देना एवं गहरी समझ पैदा करना।

8) स्थायी विकास के लिए चलाये गये सरकारी एवं गैर सरकारी योजनाओं को लेना एवं सहयोग करना।

9) सामुदायिक सम्पत्ति, जीव–जन्तु एवं अन्य प्राकृतिक संसाधनों के संरक्षण के लिए समुदाय के लोगों एवं भालीन्टीयर का क्षमता विकास करना।

10) समाज के कमजोर वर्गों के खाद्य आत्मनिर्भरता एवं कुटीर उद्योगों की स्थापना के लिए जैव विविधता का संरक्षण प्राकृतिक संसाधन प्रबन्धन, जलछाजन विकास, समेकित जैविक खेती, पशुधक संवर्धन एवं कुटीर उद्योग के प्रति हुनर का विकास करना।

11) पारंपरिक हुनर ज्ञान, कौशल लोक कला, हस्त शिल्प कला, सांस्कृति का संरक्षण, दस्तावेजीकरण एवं प्रचार–प्रसार करना।

12) अंधविश्वास एवं सामाजिक कुरीतियों के सम्बन्ध में लोगों का चेतना विकास करना एवं मूल्यों पर आधारित वैकल्पिक शिक्षा का प्रबन्ध करना।

13) कार्यक्रमों के प्रचार प्रसार, गाँधी विनोबा के विचारों का आदान–प्रदान तथा लोक शिक्षण हेतु पत्र–पत्रिकायें प्रकाशित करना एवं कराना।

14) वैकल्पिक चिकित्सा एवं सस्ती चिकित्सा पद्धति का विशेष रूप से प्रोत्साहित करना एवं इस हेतु प्रयोगशाला का निर्माण करना एवं जड़ी बूटी उत्पादन की व्यवस्था करना तथा जनसंख्या रोकने के लिए मुद्दे आधारित कार्यक्रम चलाना।

15) खादी–ग्रामोद्योग का कार्य करना इसका उत्पादन, अनुसंधान प्रचार–प्रसार प्रशिक्षण और बिक्री करना।

16) बेरोजगार युवक युवतियों को कुटीर उद्योग, लघु उद्योग जैसे रेशम उत्पादन, मुर्गीपालन, मत्स्य पालन, बागवानी, पशुपालन, काष्ठकला, लोहारगिरी एवं वेल्डिंग, माली प्रशिक्षण, सिलाई–कटाई–बुनाई प्रशिक्षण, पंप सेट/लघु सिंचाई, टायर सर्विसिंग, कालीन (कारपेट) उत्पादन, बायोगैस प्लान्ट, प्रिन्टिंग प्रेस, मशरूम की खेती, लांड्री/ड्राईक्लिनिंग शॉप, दस्तकारी, हैंडलूम (हथकरघा), डेरी, बकरी पालन, नारीयल जूट उद्योग,

बुक बाईंडिंग/बुक शॉप, साईकिल मरम्मती, पम्पसेट मरम्मती, कम्प्युटर प्रशिक्षण, कम्प्युटर मरम्मती, अमानत ट्रनिंग केन्द्र, अन्य परम्परागत उद्योगों को विकसित कर गाँव के हर हाथों में आजीविका का साधन उपलब्ध करना एवं कराना इसके लिए शिक्षण–प्रशिक्षण एवं तकनीकि सेवा की भी व्यवस्था करना।

17) दलित, आदिवासी, अल्पसंख्यक समुदाय के उत्पीड़न, बाल श्रमिक की समस्या महिला एवं बच्चों का अवैध व्यापार जैसी समस्याओं को रोकने का प्रयास करना।

18) परिवार से समुदाय स्तर तक लैंगिक न्याय एवं समता के लिए कार्य करना।

19) लोगों के मूल आवश्यकताओं की पूर्ति से सम्बन्धित योजनाओं की सूचना संग्रह एवं वितरण करना।

20) स्वयं सेवी संगठनों से पारस्परिक संबंध एवं सहयोग स्थापित करना।

21) न्यास के लक्ष्यों एवं उद्देश्यों की पूर्ति के लिए चंदा, दान, अनुदान, पुरस्कार, चल–अचल सम्पत्ति को प्राप्त करना एवं बेचना।

22) ऐसे सभी कामों को करना जो न्यास के उद्देश्यों की पूर्ति करता हो।

23) शिक्षण केन्द्र (बालवाड़ी केन्द्र) स्वास्थ्य उपकेन्द्र, पशुधन विकास केन्द्र, असहारा पशु राहत केन्द्र, प्रशिक्षण उत्पादन केन्द्र का संचालन करना।

24) सिंचाई और पेयजल के लिए नहर, कृषि तालाब, नल चापाकल, कूप उद्धसिंचाई आदि की व्यवस्था करना।

25) आवश्यकतानुसार गोष्ठी, परिसंवाद, सम्मेलन कार्यशाला शिविर पद यात्रा सेमिनार आदि का आयोजन करना।

26) मिट्टी कटाव रोकने, वृक्षारोपण, कंटुर ट्रेन्च, पलाबंदी, भूमि समतलीकरण, चैक डैम, पत्थरों का छोटा बाँध का निर्माण करना–कराना एवं पर्यावरण संरक्षण संवर्द्धन व संतुलन हेतु कार्य करना।

27) अकाल, सुखाड़, बाढ़ तुफान, अगलग्गी, महामारी, बीमारी, भुकम्प व प्राकृतिक/आकस्मिक विपदाओं से पीड़ित को सभी तरह के सहायता देना और दिलाना।

28) पर्यावरण की दृष्टि से मजबुत आर्थिक दृष्टि से व्यवहारिक और दृष्टि से उपयुक्त हो जो परिस्थिति की संतुलन बनायें रखने के लिए सामाजिक वानिकी, वृक्षारोपण, सुखा भूमि, कृषि जलछाजन प्रबन्धन, मृदा संरक्षण परती भूमि प्रबन्धन आदि जन आधारित कार्यक्रमों को बढ़ावा देना।

29) लावारिस सड़क पर रहनेवाले बच्चों,विकलांगों (शारीरिक एवं मानसिक) और नशीले पदार्थों के आशक्त व्यक्तियों के समुदाय आधारित पूनर्वास को बढ़ावा देने के कार्यक्रम को चलाना।

30) समाज के कमजोर वर्गों के सभी महिला, पुरुष को एकत्रित कर संगठित करना एवं स्वयं मदद समूह, किसान क्लब यूवा क्लब का गठन करना एवं राष्ट्रीयकृत बैंक एवं ऋणदाता संस्थाओं से जोड़ना।

31) न्यास पर्षद के माध्यम से वृद्धापेंशन, विधवा पेंशन, मातृत्व लाभ, इंदिरा आवास योजना जैसे लाभों से वंचित ग्रामीणों महिलाओं एवं पुरूषों को स्थानीय प्रशासन पदाधिकारी से लाभान्वित करना/कराना।

32) बालिका–महिला को सशक्त करना, मृत्यु जन्म को पंचायत में रजिस्टर्ड करना, पाँच वर्ष के बालक–बालिका का सर्वेक्षण करना एवं उसके लिए विद्यालय की व्यवस्था करना संचालन करना।

33) बाल विवाह रोकने का प्रयास करना।

34) सर्वांगीण विकास के लिए कार्यक्रम तैयार करना कोष जमा करना, फिर नियोजन और क्रियान्वयन करना।

35) समाज के कमजोर वर्गों के लिए, आवास निर्माण, शौचालय निर्माण, परम्परागत ऊर्जा स्त्रोत, ग्राम सम्पर्क संपर्क, सड़कें पेयजल एवंस्वच्छता जल आपूर्ति, सामाजिक वानिकी का कार्य करना।

5. सामान्य रणनीति

5.1 सहभागी व्युह रचना प्रक्रिया को आत्मसात कर सतत् जारी रखना।

5.2. समुदाय के लोगों में सामुहिक नेतृत्व के लिए क्षमता विकास करना।

5.3. कार्य समिति, उप–समिति एवंदबाब समुह का गठन एवंपुर्नगठनकरना तथा नियमित करण करना।

5.4. जन सशक्तिकरण एवं स्थायी व स्वापोषक विकास से संबंधित प्रशिक्षण, क्षेत्र भ्रमण द्वारा क्षमता विकास करना।

5.5. जन सामान्य के मुद्दे एवं कल्याण के प्रति जन वकालत करना।

5.6. अन्य संगठनों एवंसम विचारी संगठनों संस्थाओं को मिलाकर नेटवर्किंग कर मंच गठित करना, महासंघ बनाना।

5.7. स्वशासन, स्वावलम्बन, अहिंसा एवं गाँधी विचार दर्शन तथा मूल्य बोध का प्रचार–प्रसार करना।

5.8. समाज के अभिवंचित वर्गों, महिला, आदिवासी, दलितों की सक्रिय सहभागिता सुनिश्चित करना।

6. स्थानीय संसाधक संग्रह एवं अधिकतम उपयोग करना।

7. सामान्य सभा के अधिकार एवं कर्त्तव्य :

7.1 न्यास पर्षद का गठन करना

7.2 न्यास पर्षद द्वारा गठित उप समितियों को स्वीकृत करना।

7.3. न्यास पर्षद द्वारा बनाये गये नियमों उप–नियमों को पारित करना।

7.4. माप–दण्ड के आधार पर सदस्यता के स्वीकृति या अस्वीकृति प्रदान करना।

7.5. न्यास पर्षद द्वारा तैयार एवं अनुमोदित कार्य योजना की स्वीकृति देना।

7.6. न्यास पर्षद द्वारा तय योजना निर्माण एवं क्रियान्वयन, मूल्यांकन में सहयोग करना।

7.7. आय–व्यय लेखा एवं अन्य लेखाओं की समीक्षा करना एवं स्वीकृति देना।

8. न्यास पर्षद का गठन एवं स्वरूप :–

8.1. न्यास पर्षद का कार्यकाल पाँच वर्षों की होगी।

8.2. न्यास पर्षद में न्यूनतम 7 एवं अधिकतम 11 सदस्यों की होगी जिसमें 50 प्रतिशत महिलाओं की भागीदारी होगी।

8.3. सभी वर्गों एवं जातियों के जनसंख्या के आधार पर दलित, आदिवासी एवं अल्पसंख्यक समुदायों की भागीदारी सुनिश्चित करने के लिए विशेष प्रयत्न किए जायेंगे।

8.4. सामान्य सभा, न्यास पर्षद के लिए पाँच सदस्य, पाँच पदाधिकारी, यथा अध्यक्ष, उपाध्यक्ष, प्रबन्ध न्यासी, कोषाध्यक्ष, समायोजक का निर्वाचन या मनोनयन करेगा जिसमें दो पद महिलाओं के लिए आरक्षित होगा।

9. पदाधिकारी के अधिकार एवं कर्त्तव्य :–

9.1. अध्यक्ष का अधिकार एवं कर्त्तव्य :

क) अध्यक्ष, न्यास पर्षद का सर्वोपरि होगा।

ख) न्यास पर्षद एवंसामान्य सभा की बैठक की अध्यक्षता करना।

ग) न्यास के उद्देश्यों की पूर्ति के लिए सदस्यों को परामर्श देना।

घ) निर्णायक मत देना।

ङ) संसाधन संग्रह करना।

9.2. उपाध्यक्ष का अधिकार एवं कर्तव्य :–

क) अध्यक्ष की अनुपस्थिति मेंउनके सारे अधिकारों एवं कर्तव्यों का निर्वाह करना।

9.3. प्रबंध न्यासी का अधिकार एवं कर्त्तव्य :–

क) प्रबन्ध न्यासी न्यास पर्षद का मुख्य कार्यपालक होगा।

ख) न्यास पर्षद एवं सामान्य सभा के बैठकों का संयोजन करना, बैठक की सूचना 21 दिन पूर्व जारी करना, पूर्व सूचना के आधार पर सामान्य सभा एवं न्यास पर्षद की बैठक बुलायी जायेगी।

ग) रजिस्टर सदस्य पंजी लाभ भोगी पंजी, लेखा वही, कार्यक्रम से सम्बन्धित प्रमाणक एवं कागजात परियोजना पंजी को सुरक्षित रखना।

घ) वार्षिक एवं प्रगति प्रतिवेदन तैयार करना।

ड) न्यास पर्षद द्वारा नियुक्त अंकेक्षण से लेखा बहियों को अंकेक्षित कराना।

च) न्यास पर्षद द्वारा निर्मित योजना एवं कार्यक्रम का क्रियान्वयन करना यदि न्यास के उद्देश्यों की पूर्ति के लिए कोई कार्यक्रम को लागू करते हैं तो अगली न्यास पर्षद की बैठक में स्वीकृति लेना होगा।

छ) प्रबन्ध न्यासी एग्रीमेन्ट योजना एवं कार्यक्रमों से सम्बन्धित पर हस्ताक्षर करने के अधिकारी होंगे। नियुक्त एवं लागु करने का अधिकार होगा।

ज) केन्द्र सरकार, राज्य सरकार या किसी भी गैर सरकारी सहकारिता स्वैक्षिक संस्थाओं, व्यक्ति विशेष समूह के साथ कार्यक्रम–क्रियान्वयन के लिए सभी प्रकार का एकरारनामा (एग्रीमेन्ट) कराना।

झ) न्यास पर्षद की सहमति से कार्यकर्त्ताओं की नियुक्ति एवं अंशकालिक एवं पूर्णकालिक कार्यकर्त्ताओं के मानदेय एवं वेतन का निर्धारण करेंगे।

ञ) न्यास के तमाम कार्यक्रमों, गति–विधियों का निरीक्षण करना।

त) पूर्णकालिक कार्यकर्त्ता के रूप में अपने मानदेय का भुगतान लेना।

थ) न्यास के विकास हेतु प्रबंध न्यासी केन्द्र सरकार/राज्य सरकार एवं अन्य अभिकरणों से सीधा सम्पर्क करेंगे ऐसा करने के लिए इन्हें प्राधिकृत किया गया है।

9.4 कोषाध्यक्ष के अधिकार एवं कर्त्तव्य :

क) खाता–बहियों को अद्यतन रखना। लेखा का स्टेटमेन्ट तैयार करना एवं न्यास पर्षद तथा सामान्य सभा से उसकी स्वीकृति लेने की जबावदेही कोषाध्यक्ष की होगी।

9.5 समायोजक के अधिकार एवं कर्त्तव्य :

क) कार्यक्रम संचालन में प्रबन्ध न्यासी को मदद करना।

ख) न्यास के विकास हेतु सभी प्रकार के संगठनों को तैयार करना।

ग) न्यास पर्षद के सभा का संचालन करना।

घ) शिविर कार्यशाला पद यात्रा आदि का संचालन करना।

10. कोष का प्रबन्धन :

क) चन्दा, दान–अनुदान के द्वारा कोष की व्यवस्था की जायेगी। कोष देने वाले को उसकी रसीद दी जायेगी।

ख) न्यास के उद्देश्यों की पूर्ति के लिए कोष का उपयोग किया जायगा। आवश्यक प्रमाणों के साथ लेखा प्रस्तुत किया जायगा।

ग) न्यास पर्षद का कोष किसी राष्ट्रीयकृत बैंक या डाकघरों में खाता खोल कर जमा की जायेगी, जिनका संचालन प्रबन्ध न्यासी और कोषाध्यक्ष या प्रतिनियुक्त प्राधिकृत पदाधिकारी के संयुक्त हस्ताक्षर से की जाएगी।

घ) उद्देश्यों की पूर्ति के लिए न्यास पर्षद उपहार, दान–अनुदान, स्थानीय राष्ट्रीय एवं अन्तर्राष्ट्रीय स्तर पर संसाधन प्राप्त कर कार्यक्रमों को लागू करेंगे।

11. वित्तीय वर्ष :

1 अप्रैल से 31 मार्च तक न्यास पर्षद का वित्तीय वर्ष होगा।

12. लेखा :

रोकड़ बही खाता बही, जर्नल बही, दोहरे लेखा प्रणाली के आधार पर लेखा जाएगा। प्रमाणकों एवं अन्य संबंधित कागजातों के आधार पर अंकेक्षक न्यास का अंकेक्षण करेंगे।

13. कोरम :

किसी भी न्यास पर्षद की बैठक दो तिहाई सदस्यों की उपस्थिति पर होता है तो अगले सप्ताह उसी दिन समय और स्थान पर बैठक होगी जिसमें कोरम की आवश्यकता नहीं होगी।

14. संशोधन :

न्यास पर्षद के कार्यक्रम एवं उद्देश्यों में विशेष परिस्थिति में संशोधन किया जा सकेगा।

129

क) लेकिन न्यास पर्षद के तीन चौथाई एवं सामान्य सभा के तीन चौथाई सदस्यों द्वारा विशेष बैठक में किया जायेगा।

ख) न्यास पर्षद का निबंधन, भारतीय न्यास अधिनियम 1882 के आलोक में किया जाएगा।

ग) आयकर की धारा 12A एवं 80G और 35A/C के आलेख में निबंधित किया जायेगा।

घ) आयकर अधिनियम के अन्तर्गत स्थायी A/C नं0 PAN एवं TAN के आलेख में निबंधित किया जायेगा।

ङ) विदेशी अनुदान प्राप्त कर विकास कार्य करने के लिए FCRA (विदेशी अनुदान नियमन अधिनियम) 1976 के आलेख में निबंधित किया जायेगा।

14.1. न्यास निबन्धन :

न्यास निबन्धन हेतु न्यास के नाम से दस हजार रूपये होना अनिवार्य है। तभी न्यास निबन्धन संभव होगा। ग्राम साथी के खाते का संचालन यूको बैंक, जयपुर शाखा में प्रबन्ध न्यासी एवं कोषाध्यक्ष के संयुक्त हस्ताक्षर से संचालित है जिसका खाता संख्या 4671 है। ग्राम साथी खाता संख्या 4671 में दस हजार रूपये राशि जमा है।

15. विघटन :

विशेष परिस्थिति में यदि 3/4 सदस्यों की सहमति से न्यास पर्षद भंग किया जाता है तो उनके पूर्व ऋण एवं सारे देय एवं आर्थिक लेन–देन साफ करना होगा, तथा समान उद्देश्यों वाली संगठनों को तमाम चल सम्पत्ति का हस्तान्तरण कर दिया जाएगा।

उपेन्द्र प्रसाद यादव — अध्यक्ष

देवानंद कुमार — प्रबन्ध न्यासी

समायोजक

उपेन्द्र प्रसाद यादव 12.1.07

12

Endorsement of Certificate of Admissibility (Rule - 35)

130

Admissible under Rule 21 . duly stamped (or exempted from or does not require stamp duty) under the Indian Stamp Act, 1899, Schedule I or I-A, No. 64. Also admissible under section 26(a) of the B. T. Act.

Stamp duty paid under Indian Stamp Act Rs. **1000**
Addl. Stamp duty paid under RDA/Municipal Act Rs 0
(Paid **Rs. 1000/-** *by N.J. Stamp Paper and* **Rs. 906/-** *through Bank Challan.)*

FEE PAID

A1	520	C	0	H1b	0	Ka1	0	Lii	0	LLR	0
A8	0	D	0	H2	0	K1b	0	Liii	0	Proc. Fee	0
A9	0	DD	0	I	0	K1c	0	Mb	0		
A10	0	E	0	J1	0	K2	0	Na	36		
B	0	H1a	0	J2	0	Li	0	Scan	350		

Total Fee 906

Registering Officer

Date : 25/4/07

Endorsement under section 52

Presented for registration at ***10:34 AM*** *on the day* ***Wednesday,*** *25th* ***April*** ***2007*** *at the* ***Banka*** *D. R./ S. R. Office by* ***Upendra Pd. Yadav*** ***Mukund Pd. Yadav***

by profession *Agriculture.*

Registering Officer

Signature of Presentant

उपेन्द्र प्रसाद यादव
25/04/07

Endorsement under section 58

Execution is admitted by persons and identified by others whose names, photographs, fingerprints and signatures are affixed on the reverse pages of the instrument and are identified by Tripit Yadav Age 24 Sex M son/daughter of Kailash Pd. Yadav resident of Jaypur Katoriya Banka.

Registering Officer

Date 25/4/07

Endorsement of Certificate of Registration under section 60

Registered in Book 4 of DSRO/ SRO Banka having 14 pages, in the volume CD-1 and document no. of which is printed on the First Page of the document.

Registering Officer

Date 25/4/ 07